कार्यालय–ज्ञाप

संख्याः: /स0म0नि0–15/रेट लिस्ट दिनांकः: ,जुलाई, 2015

उत्तर प्रदेश स्टाम्प(सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (यथा–संशोधित) के अंतर्गत प्रचलित मूल्यांकन दर सूची को पुनरीक्षित कर दिनांक 12.8.2015 से प्रभावी किया जाना है। कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 25.07.2015 के द्वारा प्रस्तावित रेट–लिस्ट को अनुमोदित करते हुए जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 01.8.2015 नियत किया गया है। प्रस्तावित मूल्यांकन दर सूची अपर कलेक्टर (वि0/रा0) सहारनपुर, सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, सहारनपुर तथा संबंधित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, उप निबंधक प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा तहसील नकुड़, बेहट, देवबन्द, रामपुर मनिहारान के कार्यालय में अवलोकनार्थ अनुरक्षित है और उनके नोटिस बोर्डो पर भी चस्पा है। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 01.08.2015 को अपराह्न 5:00 बजे तक प्रस्तावित दर सूची के संबंध में अपनी आपत्ति/सुझाव जिला मुख्यालय पर अपर कलेक्टर (वि0/रा0) सहारनपुर तथा सहायक महानिरीक्षक निबंधन सहारनपुर एवं तहसील मुख्यालय पर संबंधित उप निबंधक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि व समय के उपरांत कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं किया जायेगा। दिनांक 01.08.2015 की अपराह्न 5:00 बजे तक प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर सम्यक विचारोपरांत दिनांक 05.08.2015 को अपराह्न 4:00 बजे कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में निस्तारण किया जायेगा। तदोपरांत पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची प्रभावी की जायेगी।

(सैय्यद निजामुद्दीन)
अपर कलेक्टर (वि0/रा0)
सहारनपुर।

पत्रांकः: 960(1-7) /स0म0नि0–15 दिनांकः: 25 ,जुलाई,2015

प्रतिलिपिः प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कलेक्टर महोदय, सहारनपुर को अवलोकनार्थ ।
2. उप महानिरीक्षक, निबंधन, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
3. सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, सहारनपुर।
4. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, सदर, नकुड़, देबवन्द, बेहट,रामपुर मनिहारान ।
5. उप निबंधक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय सदर, नकुड़, बेहट, देवबन्द, रामपुर मनिहारान को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्तावित दर सूची की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें तथा दिनांक 01.08.2015 के 5:00 बजे तक प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर अपनी तथ्यात्मक आख्या सहित दिनांक 04.08.2015 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सायं 4:00 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
6. जिला सूचना अधिकारी सहारनपुर को छः प्रतियों में इस आशय से कि स्थानीय समाचार पत्रो–अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान आदि मे निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि जनपद की बैवसाइट पर प्रसारित कराने का कष्ट करें।

25/7/15

(सैय्यद निजामुद्दीन)
अपर कलेक्टर (वि0/रा0)
सहारनपुर।